राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(35)ग्रावि / नरेगा / व्य. ला. कार्य / पार्ट–4 / 2016(पार्ट.2)   जयपुर, दिनांकः 1 JUN 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त (हनुमानगढ़ को छोड़कर)।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य के एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) ब्लॉकों में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु महिला स्वयं सहायता समूह से सम्बद्ध परिवारों को प्राथमिकता देने बाबत।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजीविका द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध 1.0 लाख परिवारों के खेतों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत राजीविका से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.04.2016 को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में योजनान्तर्गत पूरक वार्षिक कार्य योजना में 1.05 लाख परिवारों के कार्यों हेतु अनुमोदन कराया जा चुका है।

कृपया उक्त परिवारों के व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की नियमानुसार स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर कार्य प्रारम्भ करावे, ताकि आगामी मानसून से पूर्व ही इन परिवारों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उक्त कार्यों की स्वीकृतियां जारी होते ही मस्टररोल जारी करते समय इन कार्यों हेतु अकुशल श्रमिक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करावे।

मस्टररोल जारी किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय निर्देश दिनांक 21.09.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार "जिन ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है अथवा जो ग्राम पंचायते अन्य ग्राम पंचायत / पंचायत समिति पर स्वयं के स्तर से डाटा एन्ट्री का कार्य कर सकती है ऐसी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्तर से नरेगा सॉफ्ट पर रोजगार की मांग दर्ज की जाकर कार्य का आवंटन किया जायेगा एवं कार्य आवंटन कर नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से मस्टररोल जनरेट किये जाने हेतु कार्यक्रम अधिकारी को सूचित किया जायेगा।" अतः तदानुसार कार्यवाही करावे, ताकि कार्यो के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

31/5/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, राजीविका, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (हनुमानगढ़ को छोड़कर)।
6. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त (हनुमानगढ़ को छोड़कर)।

01-06-16

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / 56002 / 2014 जयपुर, दिनांक : 21 SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री एवं मस्टररोल जारी किये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में डाटा एन्ट्री एवं मस्टररोल जारी किये जाने की प्रकिया पंचायत समिति स्तर से की जा रही है। कुछ जिलों में डाटा एन्ट्री का कार्य ग्राम पंचायत स्तर से भी किया जा रहा है परन्तु मस्टररोल पंचायत समिति स्तर से ही जारी की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की संशोधित अनुसूची 1 में उपलब्ध प्रावधान के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के कार्यान्वियन एजेन्सी होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा डाटा एन्ट्री एवं मस्टररोल जारी की जावे ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके। इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. नरेगा सॉफ्ट से मस्टररोल जैनरेट किये जाने की शक्तियॉ कार्यक्रम अधिकारी में ही निहित रहेगी।

2. जिन ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है अथवा जो ग्राम पंचायतें अन्य ग्राम पंचायत / पंचायत समिति पर स्वयं के स्तर से डाटा एन्ट्री का कार्य कर सकती है ऐसी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्तर से नरेगा सॉफ्ट पर रोजगार की मांग दर्ज की जाकर कार्य का आवंटन किया जायेगा एवं कार्य आवंटन कर नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से मस्टररोल जैनरेट किये जाने हेतु कार्यक्रम अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

3. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त उक्त आग्रह के अनुरूप निम्नानुसार समीक्षा की जायेगी :–

   I ग्राम पंचायत द्वारा प्रगतिरत कार्य हेतु ही मस्टररोल जारी की गयी है। यदि नये कार्य हेतु मस्टररोल जारी की गयी है तो ग्राम पंचायत में प्रगतिरत कार्य उपलब्ध नही है अथवा उपलब्ध प्रगतिरत कार्यो पर सभी मांग करने वाले व्यक्तियों को रोजगार पर नियोजन किया जाना संभव नही है।

   II ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय नही होगा।

III. कार्य के आवंटन में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधान, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा तय की गयी प्राथमिकताओं की पालना सुनिश्चित की गयी है।

IV. अन्य आवश्यक समीक्षा।

4. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्तानुसार समीक्षा की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्य के आवंटन के अनुरूप अथवा समीक्षा के उपरान्त आवश्यकता होने पर अन्य कार्य पर कार्य आवंटन किया जाकर कार्यो की मस्टररोल नरेगा सॉफ्ट से जैनरेट की जायेगी परन्तु मस्टररोल प्रिन्ट नही की जायेगी बल्कि इसकी सूचना संबन्धित ग्राम पंचायत को दी जायेगी।

5. पंचायत समिति द्वारा जैनरेट उक्त मस्टररोल का प्रिन्ट संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाकर इस मस्टररोल को सरपंच तथा ग्राम सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से मय सील के जारी की जायेगी। ग्राम सचिव का पदस्थापन नही होने अथवा अवकाश पर होने की स्थिति में ग्राम पंचायत पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/ग्राम रोजगार सहायक के हस्ताक्षर मय सील के मस्टररोल जारी की जायेगी।

6. जिन ग्राम पंचायतों में उक्त कार्यवाही संभव नही है तथा अन्य कार्यकारी संस्थाओं के लिए मस्टररोल वर्तमान स्थिति के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील के ही जारी की जायेगीं। जिन विभागों में विभाग के अधिकारी को कार्यक्रम अधिकारी नामित किया जा चुका है, उनके द्वारा अपने विभाग के लिए मस्टररोल जारी की जा सकेगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय
18/5/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।
9. सहायक निदे० (IEC) महात्मा गांधी नरेगा।

18/5/15
परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस